# प्रेस नोट - थाना मदनापुर

# जनपद शाहजहाँपुर

**दिनांक- 03.11.2026**

## थाना मदनापुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में गुमराह कर षडयंत्र रचकर मुकदमा पंजीकृत कराने वाला वादी/अभियुक्त व उसके साथी (02 अभियुक्त) को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मदनापुर के नेतृत्व में थाना मदनापुर पुलिस टीम को मिली बडी कामयाबी।

### संक्षिप्त विवरण

दिनांक 01.11.26 को वादी द्वारा थाना मदनापुर पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-281/2026 धारा 109(1) बीएनएस बाबत अभियुक्तगण 1. नीरज मौर्या पुत्र बलवीर 2. सुनील पुत्र रामकिशन नि0ग्रा0 हालपुर पट्टी, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी पर तमन्चे से फायर कर घायल करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 02.11.26 को थाना मदनापुर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1) बीएनएस को धारा 217,231,238,248, 61(2) बीएनएस मे तरमीम किया तथा प्रकाश में आये वादी/अभियुक्त रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह, नि0 ग्राम शमससेरपुर, थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर हाल नि0 पट्टी हालपुर, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर को समय 22.48 बजे ग्राम ढुकरी खुर्द की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर खदिया पुलिया के पास से तथा दि0 03.11.26 को वादी के साथी राहुल पुत्र सर्वेश, नि0 ग्राम शमशेपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर को समय 09.52 बजे गुलेला खेडा चौराहे से गिरफ्तार किया गया। वादी/अभि0 के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 A ACT की बढोतरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1 रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह, उम्र 26 वर्ष, नि0 ग्राम शमससेरपुर, थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर हाल नि0 पट्टी हालपुर, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर

2 राहुल पुत्र सर्वेश, उम्र 27 वर्ष, नि0 ग्राम शमशेपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर ।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 281/2026 धारा 217,231,238,248,61(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 A ACT, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर ।

### बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी तमंचा मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्र0नि0 श्री सत्यप्रकाश सिंह

उ0नि0 मोहित कुमार अधाना

उ0नि0 श्री लालवहादुर सिंह

का0 आकाश कुमार

का0 सचिन कुमार

## पूछताछ का विवरण

वादी के सुसराल पक्ष के परिजनों से पूछताछ की गयी तो वादी की पत्नी के दादा द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.11.26 की सुबह मेरे बेटे तिनकू की लडकी रोली का पति रवीन्द्र सिंह उर्फ टिल्लू की अपनी पत्नी से कुछ बात हो गयी थी। वो शराब के नशे में था। मेरे घर के बाहर आया और तंमचा निकालकर अपने पैर में गोली मार ली और गोली मारकर सामने चौकी (तखत) पर लेट गया था। अन्य परिजनो से भी उपरोक्त घटना का समर्थन किया। वादी/अभि0 से पूछताछ की गयी तो बताया कि दिनांक 31.10.26 को मैं अपने घर पर रात्रि में सोया हुआ था। तो मेरी बीवी किसी से फोन पर बात कर रही थी तो मैने अपने बीवी के दो थप्पड़ मार दिये और फिर मैं सो गया था। तो मेरी पत्नी ने सुबह को अपनी माँ को फोन कर दिया। मेरी पत्नी की मम्मी आयी और उसे समझाकर चली गयी। फिर मैं, अपनी पत्नी व अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी ससुराल ढुकुरी खुर्द के लिए निकल गया। तो रास्ते में मैनें कुदैया टोल प्लाजा पर दो शराब के पव्वे लेकर एक पव्वा वही पी लिया और दूसरा अपने पास रख लिया था। फिर हम लोग ढुकुरी खुर्द चले गये। मैने वहां जाकर मैनें अपनी सास से कहा कि तुम इसे अपने पास रखो, यह रोज मुझसे लड़ाई करती है। तो मेरी सास और मेरी पत्नी में कहासुनी हुई और मैनें दुसरा पव्वा भी पी लिया तथा मैने अपने पास रखे हुये तमन्चे में कारतूस डालकर अपने सीधे पैर में गोली मार ली थी। फिर मेरी सांस ने मेरे पिता उमेश सिंह को फोन किया कि मैनें अपने पैर मे गोली मार ली है। तो मेरे पिता, राहुल व अन्य परिवारजन वहां पर आ गये और मैं, राहुल के साथ गांव के बाहर खदिया के पास आया तो मैनें बाइक से उतर कर तमन्चा वहीं छिपा दिया और राहुल ने डायल 112 को फोन किया और कहा कि मुझे किसी ने गोली मार दी है तथा बाद में मैने नीरज मौर्य और सुनील पर गोली मार देने के संबंध में मुकदमा लिखा दिया। क्योंकि सुनील से मेरी पूर्व में हुई मुकदमेबाजी को लेकर रंजिश चल रही है तथा नीरज से मेरी कहासुनी हुई थी तो मैनें गुस्से में उसका नाम भी ले दिया। ये सब षडयंत्र मैनें और राहुल ने पुलिस से बचने के लिये रचाया था।